"उत्कृष्टता केंद्र"
की मान्यता
के लिये

दिशा-निर्देश

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली -110001

कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की पहल

1. परिचय

1.1 कौशल और ज्ञान किसी भी देश के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति होते हैं। उच्च स्तर और कौशल के बेहतर मानकों वाले देश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नौकरी बाजारों में चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करते हैं।

1.2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) एक निकाय है जो एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए नेतृत्व, सर्वोत्तम व्यवहार, अनुसंधान, सहायता, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शाब्दिक अर्थ है - 'वह स्थान जहाँ उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाता है।'

1.3 स्किलिंग इकोसिस्टम में उत्कृष्टता केंद्र को एक एकीकृत संसाधन केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि, उभरते कौशल अंतरालका समाधान और उद्योग की जरूरतों के साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है और काम कर रहा है।

1.4 कौशल संबंधी मांग-आपूर्ति बेमेल को दूर करने के लिए, कुशल कार्यबल की निरंतर आपूर्ति करने और सर्वोत्तम प्रणाली का प्रसार करने के इरादे से"उत्कृष्टता केंद्र" कोकौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा मान्यता दिया जाना प्रस्तावित है। यह पहल ऐसे निकायों को प्रोत्साहित करेगी जो पहले से ही कौशलीकरण क्षेत्रों और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो ज्ञान की कमी या कौशल अंतरालके प्रमुख उभरते क्षेत्रों पर काम करने के लिए हैंताकि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा सके। इसके अलावाएक "उत्कृष्टता केंद्र" को उद्यमशीलता शिक्षा इकोसिस्टम में भी मान्यता दी जा सकती है जिससे उद्यमशीलता के विकासकार्यक्रमों की खोज में संलग्न इसी तरह के निकायों के साथ स्टार्ट-अप और सलाह / सहायता के ऊष्मायन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं के लिए फंड जुटाने, तकनीकी, प्रबंधकीय और विपणन पहलुओं में लगे हुएनिकायों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

2. पृष्ठभूमि

2.1 कौशल विकास और उद्यमशीलता, 2015 की राष्ट्रीय नीति के अनुसार - "राष्ट्रीयकौशलविश्वविद्यालयोंऔरसंस्थानोंको कौशल विकास और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप मेंया तो नए संस्थानों के रूप में यामौजूदाविश्वविद्यालय परिदृश्य केएक हिस्से के रूप में राज्यों के साथ भागीदारी में बढ़ावा दिया जाएगा । यह वांछनीय है कि ये संस्थान देश के अन्य प्रमुख संस्थानों की तरह उम्मीदवारों के लिए आकांक्षी बन सकते हैं। संबद्ध संस्थानों के माध्यम से उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के अलावा, ये संस्थान कौशल के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता और वितरण को बढ़ाने के लिए व्यापक शोध भी करेंगी।

2.2 प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। संबंधित देश के सहयोग से भाषा प्रशिक्षण सहित विदेशी रोजगार के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। इसमें विनिमय कार्यक्रम , उद्योग का दौरा और डमी प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं। आईसीटी ने प्रशिक्षकों के लिए अपने घरों सेसुविधापूर्वक प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम सक्षम बनायाजिसे जहां तक संभव होगा बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, उद्योग द्वारा वर्तमान परिदृश्य की आवश्यकता के अनुरूप, प्रशिक्षकों के तकनीकी कौशल को उन्नत करने के लिए नवीनतम तकनीकी विकास में उपयुक्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

2.3 मोटे तौर पर, कुशल पारिस्थितिकी तंत्र में"उत्कृष्टता का केंद्र"संचालन के लिएतीन मॉडल मौजूद हैं-जिन्हें **अनुबंध - I** में दर्शाया गया है।

3. उत्कृष्टता केंद्र के कार्य

3.1 निम्न क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना उत्कृष्टता केंद्रके मुख्य कार्य होने चाहिए:

✓·उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान देने के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए।

✓·कौशल विकास के लाभ के लिए शिक्षा और उद्योग के बीच सहभागिता को विकसित करने के क्षेत्र।

✓·संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का संचालन और पेटेंट के भरने और उन्हें स्थायी व्यवसाय में बदलने के माध्यम से अनुसंधान और विकास तथा अन्य गतिविधियों के परिणामों के प्रसार के लिए प्रस्तावों / समाधान।

✓·केंद्र की तकनीकी क्षमता, सूचना वास्तुकला को उन्नत करना ।

✓·कार्यों और सुविधाओं से संबंधित रचनात्मक और नवोन्मेषी प्रस्तावों का समर्थन करना।

✓·मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाकर कार्यक्रमों/ परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक मजबूत संस्थागत आधार स्थापित करना।

✓·संस्थान / संगठनों की विभिन्न परियोजनाओं में साझीदारी स्थापित में देशों, सरकारों, कामगारों, वाणिज्य के कक्षों,शिक्षा, उद्योग और अन्य औद्योगिक संघों के बीच संबंधों का निर्माण करना।

✓·क्षमता निर्माण और संरक्षण सहयोग के लिए आस-पास के संस्थानों के बीच नेटवर्क बनाना।

✓·प्राथमिकता के आधार पर एक उद्यमशीलताप्रकोष्ठ स्थापित करना।

✓ एक उत्कृष्टता केंद्र के लिए उद्यमिता शिक्षा डोमेन मेंऊष्मायन / संरक्षण / स्टार्ट-अप के लिए समर्थन प्रदान करना।

4. उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता प्राप्त करने के लिएएमएसडीई द्वारा पात्रता शर्तें:

निम्नलिखितपात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एक संस्थान / संगठन/निकाय (सरकारी या निजी) / विश्वविद्याल को एमएसडीई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप उत्कृष्टता केंद्र के लिएमान्यता प्रदान की जाएगी।

4.1 अनिवार्य

क) कौशल विकास क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण और शैक्षणिक उत्कृष्टता या अत्याधुनिक अनुसंधान के स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ सीओई 5 साल या उससे अधिक का होना चाहिए, जैसा कि प्रकाशनों, अनुसंधान परियोजनाओं, परामर्शी असाइनमेंटों द्वारा इंगित किया गया है और इसका एक करीबी उद्योग संबंध होना चाहिए। । इस शर्त में निम्नानुसार ढील दी जा सकती है:

✓ जहां उत्कृष्टता केंद्र को एक संस्थान के भीतर स्थापित किया गया है, जैसे कि एक विश्वविद्यालय (विशेष रूप से मौजूदा कौशल विश्वविद्यालय) या प्रशिक्षण प्रदाता यदि कौशल विकास और संबंधित क्षेत्रों में एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ 5 साल से अधिक पुराना है; या

✓ यदि उत्कृष्टता केंद्र को 5 वर्ष से अधिक पुराने स्थापितट्रैक रिकॉर्ड वालेउद्योग कौशल परिषदद्वाराएक स्टैंड-अलोन स्वतंत्र केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।

ख) इसमें भूमि और भवन के संदर्भ में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए, जिसमें अनुसंधान विद्वान, आधुनिक उपकरण, संयंत्र / मशीनरी खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि शामिल है। शिक्षा इको-सिस्टम मेंउद्यमशीलता में उत्कृष्टता केंद्र के मामले मेंसंरंक्षण / सहयोग के लिए एक तंत्र के साथयह एक कार्यकारी ऊष्मायन केंद्र होना चाहिए।

ग) संस्थान में पर्याप्त / सक्षम जनशक्ति / अनुसंधान कर्मचारी होने चाहिए। सीओई जिन क्षेत्रों में संचालन कर रहा है उस क्षेत्र में और चिन्हित कौशलीकरण क्षेत्रों कासक्षम कोर कामगार समूह होना चाहिए।

घ) सीओईका कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए/ उद्यमिता विकासऔरउद्योग मानकों के अनुरूप एनओएस / क्यूपी विकसित करने मेंअनुसंधान सहायता सहित अंतराष्ट्रीय निकायों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों के साथ सहयोग होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार एक अतिरिक्त लाभ होगा।

ड.) इसे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, एनएसडीसी, डीजीटी और अन्य मंत्रालयों के साथ साझेदारी कार्यक्रमों के बुनियादी स्तर का अनुभव होना चाहिए।

4.2 वांछनीय

क्रम संख्या	क्षेत्र / डोमेन / गुणवत्ता मानदंड	आवश्यकताएं
1	उद्योग इंटरफेस (उद्योग के साथ सहयोग और जुड़ाव)	• उद्योगों के साथ सहयोग पर समझौता ज्ञापन, समझौते, उद्योग प्रतिक्रिया और हर एक का विशिष्ट विवरण; • उद्योग की भागीदारी के साथ बनाए गए केंद्रों की संख्या • अपने कार्यस्थल पर छात्रों के प्रशिक्षण में स्थानीय कंपनियों / व्यवसायों का विवरण।
2	अनुसंधान और विकास	• निष्पादित अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या; • कोई पेटेंट या नवाचार; • परामर्श कार्य।
3	संगठनात्मक संरचना / संस्थागत व्यवस्था / शैक्षणिक ताकत	• प्रत्येक हितधारक की अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाओं के साथ संगठनात्मक संरचना ; • डीन / हेड को दो दशक से अधिक का उद्योग का अनुभव; • अकादमिक / प्रशिक्षक कर्मचारियों का विवरण और स्थायी और अनुबंध के आधार पर विभाजन (कर्मचारियों का 50% से अधिक स्थायी होने चाहिए) ; • क्षेत्र / योग्यता और योजनाओं के संबंधित मानदंडों के अनुसार छात्रों औरप्रशिक्षकों का अनुपात।
4	संरचना	• सीओई की विभिन्न घोषित गतिविधियों का संचालन करने के लिए बुनियादी ढांचे और नवीनतम उपकरणों और उपकरणों की आवश्यकता है। (मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम भू-क्षेत्रअनिवार्य है) ; • भू-क्षेत्र और उपकरणों की विशिष्टताओं को विभिन्न अर्हता / ट्रेडों के संबंधित मान्यता मानदंडों के अनुसार होगा जिसमें प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
5	प्रमुख हितधारकों (नियोक्ताओं, माता-पिता, छात्रों आदि) को जानकारी प्रदान करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एडवोकेसी / संचार, संचार कार्यनीति / व्यावसायिक गतिविधियों और प्रतिक्रिया के आधार पर सेवा वितरण की योजना बना रहा है।	• आयोजित कार्यशालाओं / सम्मेलनों की संख्या ; • विभिन्न लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए संचार कार्यनीति ; • छात्रों के अलावा समुदायों के साथ हाल ही में (पिछले दो वर्षों में) बैठकें।

क्रम संख्या	क्षेत्र / डोमेन / गुणवत्ता मानदंड	आवश्यकताएं
6	छात्र सहयोग/ परामर्श सेवा	• क्या केंद्र में एक छात्र सहायता / परामर्श सेवा है; • परामर्शदाता की योग्यता का विवरण।
7	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों / प्रशिक्षकों की नियमित समीक्षा उद्योग अभ्यास के लिए प्रासंगिक है, जिसमें यह पहचान करना शामिल है कि नवीन शिक्षण शिक्षण पद्धति / नवीन शिक्षण को शिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है)	• अच्छी तरह से परिभाषित टीओटी योजना; • पिछले दो वर्षों में आयोजित टीओटी का विवरण।
8	ऊष्मायन / मेंटॅरिंग सहयोग	• जगह में ऊष्मायन केंद्र (उद्यमिता शिक्षा इको-सिस्टम में सीओई के लिएयह एक आवश्यक शर्त होगी); • पिछले दो वर्षों में किसी भी ऊष्मायन परियोजनाओं का विवरण; • आस-पास के संस्थानों को दिए गए नेटवर्किंग / मेंटॅरिंग सहयोग का विवरण।
9	आईटी समर्थन / हस्तक्षेप	• छात्रों के प्रशिक्षण और गतिविधियों की निगरानी में आईसीटी का उपयोग।
10	अद्यतन शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता (उद्योग अभ्यास के लिए वर्तमान और प्रासंगिक बने रहने के लिए सीखने के संसाधनों की नियमित समीक्षा, जिसमें नवीन कार्यक्रमों को सीखने के कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है, यह पहचानना शामिल है)	• उपलब्ध संसाधनों को सीखने के लिए समीक्षा तंत्र।
11	समावेशन	• अलग-अलग तरह के दिव्यांगों के लिए अवसंरचना और शिक्षण प्रौद्योगिकी की उपलब्धता।

5. मान्यता:

5.1 उत्कृष्टता केंद्रों के लिए मान्यता के लिए सचिव,कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की अध्यक्षता में एक स्थायी समितिका गठनमंत्रालय में किया गया है। यह केंद्रीय समिति नीति के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की देखरेख, प्रक्रियाओं की स्थापना, नियम और शर्तें और समय-समय पर और आवश्यकता होने पर इस पहल के अन्य पहलुओं को देखती है। समितिसीओई के आकलन के लिएआवश्यकता के अनुसार प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए और मापदंडों और मानकों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है।स्थायी समिति ने एक फील्ड कमेटी का गठन किया है, जो किसी क्षेत्र का दौरा करने, किसी प्रस्ताव का प्रारंभिक मूल्यांकन करने और स्थायी समिति को अपनी सिफारिशें देने के लिए गठितकी गई है। प्रस्ताव स्वीकृत करने की / मान्यता / अस्वीकार/ रद्द करने/ वापस करने की शक्ति स्थायी समिति में निहित है। मान्यता शुरू में पांच साल की अवधि के लिए दी जा सकती है या एक एक बार केंद्र के रूप में "उत्कृष्टता केन्द्र" मान्यता प्राप्त के रूप में स्थायी समिति द्वारा जैसाकि वह उचित समझे किसी भी समय अमान्यताप्राप्तकिया जा सकता है। एमएसडीईअपने विवेक सेस्वयं याअपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सीओई द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन कर सकता है और एक समयावधि में इसकी प्रगति की मूल्यांकन कर सकती है।

6. प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण:

6.1 संभावित आवेदक नीचे दिए गए पते पर ईमेल / पोस्ट द्वारा नोडल अधिकारी को प्रस्ताव भेज सकते हैं:

आर्थिक सलाहकार,
आर्थिक और नीति विंग,
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ,
कमरा नंबर 212, दूसरी मंजिल, पीटीआई भवन,
4 संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 फोन: 011-23465912
ईमेल: alam.shakil@nic.in (copy to: om.thakur@gov.in, abhishek.meena88@gov.in)

6.2 उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता के लिए आवेदन **अनुबंध- II** में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार किया जाएगा और प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की प्रति **अनुबंध- III के** अनुसार होगी।

7. दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

7.1 उपरोक्त दिशानिर्देशों को इसके अनुलग्नकों के साथ संशोधित किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सभी कार्य / निर्णय, जिनमें संस्थांनों को सीओई दर्जा देना शामिल है, 9 अगस्त, 2019 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू रहेंगे।

****

अनुबंध - I

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मौजूदा मॉडल

मॉडल 1: एक प्रशिक्षण संस्थान के भीतर केंद्र

सबसे आम एक संस्थान के भीतर उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करना है, जैसे कि एक विश्वविद्यालय (विशेष रूप से मौजूदा कौशल विश्वविद्यालय) या प्रशिक्षण प्रदाता । मौजूदा सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है, या नए निर्माण किए जा सकते हैं। एक बार एक सीओई के रूप में घोषित संस्था को विशेषज्ञ / मास्टर प्रशिक्षकों को प्राप्त करके, मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन, बाजार की आवश्यकता के अनुसार उपकरण, उपकरण और सुविधाएं प्राप्त करके , डोमेन-विशिष्ट मिश्रित सीखने की शुरुआत करके "अच्छा" से "महान" तक बढ़ाया जा सकता है । आमतौर पर, यह केंद्र नामित क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास का एक मॉडल बन जाएगा। यह दृष्टिकोण नए केंद्र को कौशल क्षेत्र में स्थापित प्रतिष्ठा के साथ मौजूदा संस्थान की प्रतिष्ठा और संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है । सीओई अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए विभिन्न उद्योगों, सरकार, सेक्टर कौशल परिषदोंऔर उद्योग निकायों के साथ भागीदारी कर सकता हैऔर मौजूदा कौशल विश्वविद्यालयों यदि मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं तो इस मॉडल को अपना सकते हैं

इस मामले में**उदाहरणों में से एक है आईआईएमबी में सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी (सीओई)**जो किप्रमुख अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में लगा हुआएक स्वतंत्र सार्वजनिक ब्याज-उन्मुख नीति टैंक है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार (जीओआई), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आईआईएमबीके बीच साझेदारी समझौते के माध्यम से 2000 में स्थापित केंद्र भारत में नीति-चिंतन और अमल करने की नेतृत्व करने की इच्छा रखता हैऔरजो नागरिकों और लोक प्रशासन की चिंताओं का समावेशी और सतत समाधान को बढ़ावा देता है।

मॉडल 2: स्टैंड-अलोन स्वतंत्र केंद्र

कुछ स्थितियों मेंउत्कृष्टता का एक केंद्र एक भूरे रंग के क्षेत्र परखरोंच सेया ग्रीनफील्ड साइट स्थापित होता है जो मौजूदा संस्थान से जुड़ा नहीं होता है। इसके लिए गहन पूंजी और मानव संसाधन निवेश की आवश्यकता है, क्योंकि सभी सुविधाओं, भर्ती, परिचालन संरचनाओं और प्रक्रियाओं को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसमें कई साल लग सकते हैं, इसलिए एक सकारात्मक प्रतिष्ठा को जल्दी स्थापित करने की आवश्यकता है। सह-वित्तपोषण में उद्योग को शामिल करना और

केंद्र को प्रायोजित करना अत्यधिक प्रभावी हो सकता है। इन केंद्रों को व्यापक शासन या संगठनात्मक संरचनाओं से जोड़ा जा सकता है।

उदाहरण के लिए, एक स्टैंड-अलोन केंद्र एक उद्योग कौशल परिषद द्वारा स्थापित किया जा सकता है जिसने प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान कर ली है जिसे मौजूदा प्रदाताओं द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। एक नए केंद्र को उद्योग कौशल परिषद या समान उद्योग निकाय से जोड़ने के कई फायदे हैं, जिसमें स्थापित शासन संरचनाओं का उपयोग करने की क्षमता, और उद्योग और सरकार की नीति प्राथमिकताओं के साथ तत्काल लिंक शामिल हैं। इस मामले में उदाहरण है: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और यूएनएफपीए ने युवाओं और किशोरों पर एक उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। यह युवाओं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान और नीति पर केंद्रित है।

मॉडल 3: उत्कृष्टता के नेटवर्क

ये संगठनात्मक संरचनाएं या एजेंसियां हैं जो मौजूदा प्रशिक्षण प्रदाताओं को एक नेटवर्क में एक साथ लाती हैं। यह एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है जब अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदाता एक दूसरे से अलगाव में काम करते हैं या उद्योग के साथ सहयोग नहीं करते हैं।

एक नेटवर्क की स्थापना में नई प्रशिक्षण सुविधाओं का भौतिक निर्माण शामिल नहीं है। क्षमता-निर्माण के प्रयास मौजूदा प्रदाताओं पर केंद्रित हैं। इनमें अपग्रेड करने वाले उपकरण, मानव संसाधन को मजबूत करना, और किसी मान्यताप्राप्त "किटमार्क" या गुणवत्ता का प्रमाणीकरण शामिल हो सकता है।

उत्कृष्टता के नेटवर्क यह सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन हो सकता है कि विशिष्ट क्षेत्रों में प्रावधान सरकारी नीति प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हो। वे उन स्थितियों में भी विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, जिनमें किसी विशेष क्षेत्र या उप-क्षेत्र के कौशल की आवश्यकता विविध होती है।

उदाहरण: सीआईआई लॉजिस्टिक्स संस्थान, चेन्नई, लीडरशिप के निर्माण, स्थिरता के लिए कार्यनीति, क्लीन टेक्नोलॉजीज और मैनेजमेंट की पहचान और उसे अंगीकार करना, ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है, जो लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण प्रबंधन में विश्व स्तर की मानकों को अपनाता है।

अनुबंध- II

उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता के लिए प्रपत्र (प्रोफार्मा) :

1. संगठन का नाम :

2. ई-मेल और फोन नंबर के साथ पता :

3. पंजीकरण संख्या और दिनांक :

4. पिछले 5 वर्षों के संगठन की वर्षवार वित्तीय स्थिति ; आय और व्यय :

5. क्या संगठन का अपना भवन है यदि हाँ, तो उस स्थान के उपकरण, वाहन आदि के साथ उपलब्ध बुनियादी ढांचे का विवरण दें , जिसे सीओई के रूप में मान्यता दी जानी है :

6. विवरण और सीओई में कार्यरत कार्मिक का प्रोफाइल/ विवरण :

7. एक विस्तृत औचित्य के साथ स्थापित सीओई के उद्देश्यों का विवरण :

8. क्या उत्कृष्टता केंद्र द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए केंद्रीय / राज्य सरकार / वित्तीय एजेंसियों से कोई अनुदान प्राप्त हुआ है ,यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

9. उत्कृष्टता केंद्र द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान मेधावी उपलब्धियों / पुरस्कारों का ट्रैक रिकॉर्ड :

10. उत्कृष्टता केंद्र के प्रदर्शन का विवरण जिसके लिए मान्यता मांगी गई है :

क्रम संख्या	ब्यौरा	विवरण
1	• उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन / समझौते • उद्योग की भागीदारी के साथ सह केंद्रों की संख्या • अपने कार्यस्थल पर छात्रों के प्रशिक्षण में स्थानीय कंपनियों / व्यवसायों की व्यस्तता	
2	• अनुसंधान परियोजनाओं/ कंसल्टेंसी असाइनमेंट की संख्या	

क्रम संख्या	ब्यौरा	विवरण
3	• प्रत्येक हितधारक की अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाओं के साथ संगठनात्मक संरचना • डीन / हेड को दो दशक से अधिक का उद्योग का अनुभव है • स्थायी और संविदा के आधार पर शैक्षणिक / प्रशिक्षक कर्मचारी अलग अलग विवरण (कर्मचारियों में 50% से अधिक कर्मचारी स्थायी होने चाहिए) • छात्रों और प्रशिक्षकों का अनुपात	
4	• सीओई की विभिन्न घोषित गतिविधियों का संचालन करने के लिए अवसंरचना और नवीनतम उपकरणउपलब्ध हैं	
5	• आयोजित कार्यशालाओं/ सम्मेलनों की संख्या • विभिन्न लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए संचार रणनीति • छात्रों के अलावा समुदायों के साथ हाल ही में (पिछले दो वर्षों में) आयोजितबैठकें	
6	• छात्र सहायता / उपलब्ध परामर्श सेवा	
7	• पिछलेदो वर्षों में आयोजित टीओटी का विवरण	
8	• ऊष्मायन केंद्र , यदि कोई हो • पिछले दो वर्षों में किसी भी ऊष्मायन परियोजनाओं का विवरण • आस-पास के संस्थानों को दिए गए नेटवर्किंग/सलाह समर्थन का विवरण	

क्रम संख्या	ब्यौरा	विवरण
9	• प्रशिक्षण में तकनीकी सहायता • अद्यतन शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता	
10	• सीओई द्वारा नियोजित पेशेवर कर्मचारियों की संख्या (पूर्णकालिक/ अंशकालिक और संविदात्मक)	

संगठन के महासचिव /अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी / प्रोपराइटर का नाम और हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर के साथ

अनुबंध - III

1. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची

i. अनुबंध– II के अनुसार आवेदन

ii. प्रस्ताव की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की दो प्रतियां

iii. गैर–सरकारी संगठन / संस्थान के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र, एसोसिएशन के ज्ञापन और संगठन के उपनियमों की प्रतियाँ

iv. पिछले 3 वर्षों के लेखा परीक्षित विवरण की सत्यापित प्रति

v. विशेष रूप से कौशल विकास क्षेत्र से संबंधित पिछली गतिविधियों का एक नोट

vi. उत्कृष्टता केंद्र द्वारा प्रकाशनों की सूची, यदि कोई हो

vii. प्रस्तावित उत्कृष्टता के क्षेत्र में काम करने के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड का समर्थन करने वाले दस्तावेज

2. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:

1. हम उत्कृष्टता केंद्र के दिशानिर्देशों के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे

2. हम एमएसडीईऔर इसके संलग्न कार्यालयों द्वारा आवश्यक आवधिक / विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे

3. एमएसडीई अपने विवेक से स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं और इसकी प्रगति की समीक्षा समय–समय पर हो सकती है।

4. अधोहस्ताक्षरी इस संबंध में किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए प्रस्ताव के साथ कानूनी रूप से उत्तरदायी और प्रदान की गई जानकारी की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगी।

5. कौशल विकास परियोजनाओं के लिए अलग रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा

संगठन के महासचिव/अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी / प्रोपराइटर का नाम और हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर के साथ